



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14626

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 584 सन् 2026

मंजू देवी

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सौरभ यादव, उपेंद्र भारती

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ यादव ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के चयन और नियुक्ति को चुनौती देने वाली इस रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, लेकिन याचिकाकर्ता के पास ऐसी कोई याचिका नहीं है।
2. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क कर सकता है, जो याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र की प्रति उपलब्ध कराएगा।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, इटावा से 05.02.2026 तक संपर्क करने का निर्देश देते हुए याचिका का **निस्तारण** किया जाता है, जो याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र की प्रति उपलब्ध कराएगा।
5. याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में पुनः अपील करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

21 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।